

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

24. (10)

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) को बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति संलग्न) का हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज. सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएँ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर कॉबल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खूदा से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को दूर करने हेतु प्रवेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस हेतु ब्लॉक एतद्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर कॉबल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्रा- पंचायत तक आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भौति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ल आई जाए। सड़क की कटान को सजाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। एक ही सड़क

Case No: — UICR / CFA / NOFN / Taylor Conn / 13-14 / 24 DT-15/8/14

Copy to: - ① All SSA Heads of UKD Circle for Info. & 2/9/91.

① DGM (TR-II) Dehra Dun for info. & 21/9, 11. सहायक महाप्रबंधक (वि. व. कार्या.) मुख्य महाप्रबंधक (वि. व. उत्तराखण्ड दूरसंचार परिमंडल).

को पार करने के लिए एचडी0 अथवा हॉरिजेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा। ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ सम्बन्ध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कमानियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

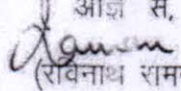
(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवाद, सफल एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

1- जिलाधिकारी-	अध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारी-	सदस्य सचिव
3-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग-	सदस्य
4-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-	सदस्य
5-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग-	सदस्य
6-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग-	सदस्य
7-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग-	सदस्य
8-प्रभागीय वनाधिकारी-	सदस्य
9-जिलापंचायतीराज अधिकारी-	सदस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी/नगर अधिकारी-	सदस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित-	सदस्य
संलग्नक:- यथोक्त।	

भव्य मेय,
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।
6. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(राजिवनाथ रामन)
अपर सचिव